कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 697 दिनांक :– 24.6.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः– **बीराटाली–टोरी से महुआमिलान में फ्लाईओवर निर्माण हेतु (1.278 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 1.259 हे0 जंगल झाड़ी (Deemed Forest) कुल 2.537 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– वन संक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1330 दिनांक 31.05.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/RAIL/36382/2018 हेतु कुल 2.537 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में कुल 2.537 हे0 वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 1.259 हे0 जंगल–झाड़ एवं 1.278 हे0 अधिसूचित वनभूमि है, जिसमें वनस्पति घनत्व 0.1 एवं ईको क्लास 3 है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र–I में ऑनलाईन आवेदन दर्ज है।
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
5. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर फ्लाईओवर का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference map की Hard एवं Soft Copy में संलग्न है।
9. फ्लाईओवर संरेखन में पड़ने वाले 25 वृक्षों की प्रजातिवार Girth-wise गणना सूची संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त लातेहार का प्रमाण–पत्र संलग्न है। साथ ही जिला स्तरीय/अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का उपायुक्त लातेहार के पत्रांक 1336 दिनांक 22.12.2018 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अन्तिम रिविजनल सर्वे (RS) का अभिलेख अनुपलब्ध रहने अथवा जिर्ण–शिर्ण/कटे–फटे अवस्था तथा अपठनीय होने के कारण वर्ष 2005 में प्रकाशित वर्तमान रिविजनल सर्वे (RS) को आधार मानकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी गई

है। भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल–झाड़ी आदि (Deemed Forest) के रूप में पाई जाती है तो इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण को इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित करते हुए उक्त भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. उपायुक्त, लातेहार द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत पड़ने वाले गैर वनभूमि यथा रैयती एवं अन्य भूमि का किस्म जमीन सत्यापित किया गया है जिसकी विस्त्त भूमि अनुसूचि की प्रति संलग्न है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA आदि की राशि जमा करने हेतु वचनवद्धता दी गई है।

15. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लातेहार वन प्रमण्डल में कुल 6.34 हे0 दो गुणे अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना सं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1	लातेहार वन प्रमण्डल	आन	बालूमाथ/ 261	412	6.34

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

16. परियोजना क्षेत्र में पाये जाने वाले Flora एवं Fauna की सूची संलग्न है।

17. प्रस्ताव पर CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु अनुरोध किया जा रहा है। जिसके प्राप्त होने पर अलग से राज्य सरकार को अवगत कराने की कार्रवाई की जायेगी।

18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा लोकहित में की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 2.537 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0:–यथोक्त।</u>

प्रस्ताव की तीन प्रतियों के साथ।

विश्वासभाजन,

24.06.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

F:\Amit\RAILWAY\biratoli tori 2.537ha.docx

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Connection With Biratoli -Tori ROR(Flyover) Line Connection & Biratoli - Mahuamilan (Surface Line) Connection For Connectivity Of Three Line Of The New BG Line Between Tori & Shivpur 2.537 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 2.537 ha. Forest land.

Date :- 24.06.2019

Place :- Ranchi.

Signature

(SHASHI NANDKEOLYAR)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)